scheme. These projects are at different stages of implementation. Year wise allocation and amount released in Swadesh Darshan is given as under:–

(Rs. in crore)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Budget allocation	20.00	310.00	972.40	950.00	1100.70	1106.00
Expenditure	20.00	309.54	971.23	943.78	1100.15	22.00

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

STATUTORY RESOLUTIONS AND GOVERNMENT BILLS*

Regarding disapproving the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019)

and

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolution and the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 to be discussed together. There are three movers; Shri D. Raja, Shri Binoy Viswam and Shri Elamaram Kareem. Shri Binoy Viswam will move the Resolution. Shri D. Raja met me and I told him that Shri Binoy Viswam will move the Resolution.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

"That this House disapproves the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019) promulgated by the President of India on 2nd March, 2019."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can speak for a few minutes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, often this Government forgets that this is a parliamentary democracy. They believe that this is a presidential form of Government. They forget the Parliament, they deny its importance, they neglect that the Parliament is the people's representative body. That is why they always take the route of Ordinance. Sir, in the

*Discussed together.

[Shri Binoy Viswam]

Government system, sometimes a need may arise to issue some Ordinances. One can understand it. But one after another, every day and night, the Government always thinking about Ordinance, Ordinance and Ordinance means that the Government has least consideration about the democratic norms. Sir, this is a practice that should be questioned. Sir, as an hon. Member of the House and Deputy Chairman, a man with great knowledge, whose records are very straight and great, I request you to come up for the rescue of the parliamentary democracy, to uphold the values of parliamentary democracy, to advise the Government not to behave like this in future. Sir, why should the Government be so afraid of the Parliament? In many cases we have seen that there was no urgency. Sometimes, when there is an urgency like elections, one can even argue that, maybe, because of political compulsions they are doing it. Even on such occasions, when there are no such compulsions, they are coming up with Ordinances. This Ordinance on Homoeopathy is also like that. Sir, this Bill could have been very easily discussed, consulted and even passed in the Parliament, but, the Government, which has the habit of Ordinances, decided that let us have one more Ordinance in this regard. Sir, this Board of Governors about which the Bill now speaks, that Board of Governors is going to bypass the Central Homoeopathy Council. In that Council, they are having some authorities. Now, the Government found out that the Council was full of corruption. Sir, corruption exists not only in that Council, corruption is in the body, polity of this country, from the top-most to the lower level of the Government. Everybody ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. Don't interrupt.

SHRI BINOY VISWAM: There is a gene of corruption in the Government. I do not want to narrate all those things due to lack of time but nobody can single out an instance where there is no corruption. Now, suddenly, the Government felt that there is corruption in the Central Homoeopathy Council and that has to be done away with. So they thought to have an Ordinance. In that Ordinance, they came with a proposal to have a Board of Governors and now the Bill wants to extend its tenure also from one year to two years. The Bill says that the Government has the power to do anything. They can choose the people; they can sack the people, and they can extend everything, like a Brahma, srishti-sthiti-samhara, all are with the Government. In a democracy, no Government is Brahma. In a democracy, we, the people, are the Brahma. We elect the Government; we elect the Parliament, we make laws, but, the Government thinks that we, the people, are a non-entity. That is the story behind this Ordinance route. This can't be allowed. Sir, who will choose the members of the Governing Body? The Government. What is the yardstick for doing that? Nobody knows.

What about the content of that Body? It is not very clear. Sir, thousands and lakhs of Homoeopaths are there in this country. Most of them are very efficient, and those people are added to be representatives in this Body, which means not at the will and pleasure of the Government. But, the people should feel that this Body of Governors is a real body which can govern the matters. That means, they should be the people with integrity. Then only they can fight corruption. So, I repeat that Homoeopaths, from Government and private sector who have great experience in this branch of medicine~~—it~~ is a great medicinal branch—they should be properly and adequately represented in this Board of Governors. I am sure, the hon. Minister will take care of these things. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Shripad Yesso Naik to move the Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Statutory Resolution disapproving the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019, moved by hon. Member, Shri D. Raja and others and the Motion for consideration of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019, moved by the Minister, are open for discussion.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I have to say something.

महोदय, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी कार्य करता है। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और अभ्यास, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के रखरखाव और उनसे सम्बन्धित मामलों का विनियमन करता है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा में सुधार करने और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाने के लिए वर्ष 2002 में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन किया गया और उसमें धारा 12(क) जोड़ी गई, जिसमें नए कॉलेज खोलने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान है। यह संशोधन इसलिए किया गया था, ताकि घटिया कॉलेज न खोले जाएं या ऐसे पाठ्यक्रम शुरू न किए जाएं अथवा ऐसी सीटें न बढ़ाई जाएं, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना।

महोदय, 2002 का जो संशोधन हुआ, उससे पहले मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं था। 2002 के पहले के कॉलेजों के सम्बन्ध में उसमें प्रावधान नहीं किया गया था कि वह उसके ऊपर कोई अमल करे। इसलिए इस अमेंडमेंट में यह भी है कि मंत्रालय को जो अधिकार नहीं था, वह अधिकार भी इसमें प्रस्तावित करने की मांग की हुई है।

[Shri Shripad Yesso Naik]

केन्द्र सरकार ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने 13 अगस्त, 2018 को इसे अपनी सम्मति प्रदान की थी और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 नामक एक समकक्ष अधिनियम भारत के राजपत्र में वर्ष 2018 में अधिनियम संख्या 23 के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

पहला, एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद् का पुनर्गठन होने में से जो भी पहले हो, उस समय तक केन्द्र सरकार द्वारा शासक मंडल की नियुक्ति करके सीसीएच को अधिक्रमित करना। दूसरा, केन्द्रीय परिषद् द्वारा बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी मौजूदा होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीकरण किया जाना, तथा तीसरा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रख्यात एवं योग्य होम्योपैथी चिकित्सकों एवं प्रशासकों से युक्त शासक मंडल को परिषद् का कार्य सौंपा जाना।

' The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018' की धारा 3(क) के प्रावधानों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने 18 मई, 2018 को एक शासक मंडल या Board of Governors का गठन किया था, जिसमें छ: सदस्य, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सीसीएच) के शासक मंडल के सदस्यों के रूप में हैं। इस शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 तक था।

इस शासक मंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए, होम्योपैथी कॉलेजों को अनुमति देने संबंधी मामलों पर समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किया था। सीसीएच के शासक मंडल ने भी स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अनिवार्यत: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करने के लिए संगत विनियमों का संशोधन किया है। वर्ष 2019-20 के लिए इस शासक मंडल के निरीक्षण और सिफारिशों की प्रक्रिया चल रही है, जिसके जुलाई, 2019 तक पूरे होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने वर्तमान 'होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973' और उसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् का प्रतिस्थापन करने के लिए 7 जरवरी, 2019 को राज्य सभा में 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019' प्रस्तुत किया है।

राज्य सभा के माननीय सभापति जी ने 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में यथा प्रस्तुत और वहीं पर लम्बित 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019' को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त इस शासक मंडल का कार्यकाल केवल 17 मई, 2019 तक ही था और कॉलेजों के निरीक्षण जैसे शैक्षणिक कार्यकलाप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसलिए शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष और आगे तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। तद्नुसार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 नामक एक अध्यादेश 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है। शासक मंडल परिषद् के कार्यों का सम्पादन एचसीसी अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कर रहा है।

उपर्युक्त के मद्देनज़र, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि 'होम्योपथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019' पर विचार करें और होम्योपैथी के विकास के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उसे पारित करें। धन्यवाद।

The questions were proposed.

श्री उपसभापति: मैं अगले वक्ता को निमंत्रित करूं, उससे पहले महज़ वक्ताओं के लिए और उपस्थित माननीय सांसदों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो घड़ी है, मैं उसी से समय देखता हूं और वहां जो समय दिखाई देता है, उसमें लगभग एक मिनट का फर्क होता है। टेक्निकली इसे ठीक किया जा रहा है। इसलिए आप जो भी समय देखें, उसमें एक मिनट और जोड़ लें। जो समय वहां दिखाई देता है, वह एक मिनट पीछे है, इसलिए मैं समय का संकेत सबको देता हूं। माननयी पी.एल. पुनिया जी।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से इस बिल की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है। ' The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019, जो विचाराधीन है, वह पुराने अध्यादेश की जगह लेगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि, 2 मार्च, 2019 को यह जारी किया गया था और इसके माध्यम से ' The Homoeopathy Central Council Act, 1973' में संशोधन किया जा रहा है।

मान्यवर, यह पहला संशोधन नहीं है। 1973 के कानून में पहला संशोधन 2018 में किया गया था, जिसके माध्यम से, जैसा कि अभी बताया गया कि Central Council को भंग कर दिया गया, एक वर्ष के लिए supersede कर दिया गया अथवा नई Central Council का गठन होने पर supersede कर दिया गया।

जब तक नयी सेंट्रल काउंसिल का गठन नहीं हो जाए, तब तक Board of Governors को भी nominate करने का अधिकार सरकार के पास रहा। इस Board of Governors में 7 सदस्यों का प्रावधान है, जो people of eminence in the field of homeopathic education हों। यह प्रावधान आपके द्वारा किया गया। जो कारण बताया गया, एक वर्ष पूरा हो गया, लेकिन इस वर्ष में नयी सेंट्रल काउंसिल का गठन नहीं किया गया, एक वर्ष पूरा हो गया, लेकिन एक वर्ष में नयी सेंट्रल काउंसिल का गठन नहीं किया गया, इसीलिए इसको एक वर्ष और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव 2019 के अमेंडमेंट बिल के माध्यम से किया जा रहा है। जो कारण बताया गया कि जो नेशनल रजिस्टर है, उसको State Homeopathic Registrar के द्वारा अपडेट नहीं किया। यह राज्यों के माध्यम से होना था। सेंट्रल काउंसिल को सुपरसीड करने के लिए और होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रिपील करने के लिए National Commission for Homoeopathy Act, 2019 राज्य सभा में पेश किया गया। वह विचाराधीन है और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको शीघ्र पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो वर्तमान 1973 का होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट है, उसको रिपील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वजह से दूसरा अमेंडमेंट लाना अनिवार्य था। ठीक है, 1973 के एक्ट में संशोधन करने के लिए 2 मार्च को अध्यादेश आया। इसको एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है और इसी तरह से Board

[श्री पी.एल. पुनिया]

of Governors का कार्यकाल भी दो वर्ष और बढ़ाया जाएगा। 2018 में सेंट्रल काउंसिल को सुपरसीड करने के लिए कारण बताये गये कि उसके अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप थे ओर उन पर रिश्वत लेने का आरोप सीबीआई के माध्यम से सही पाया गया। केन्द्र सरकार के और भी जो निर्देश थे, मॉर्डनाइजेशन के, डिजिलाइजेशन के, उनका पालन नहीं हुआ, जिससे quality of education suffer हुई, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा और क्योंकि होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में सुपरसीड करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए यह अमेंडमेंट एक्ट लाना जरूरी पाया गया। 2018 के संशोधन के बाद एक वर्ष तक सेंट्रल काउंसिल का गठन नहीं हुआ। यह अवधि वैसे काफी होती है। सेंट्रल काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए था, राज्यों से बात करके और जो State Homoeopathy Registrars हैं, उनके माध्यम से नेशनल रजिस्टर को अपडेट किया जाना चाहिए था, ताकि उसके चुनाव होते, उसके प्रतिनिधि चुन कर आते, सेंट्रल काउंसिल होती। सेंट्रल काउंसिल जो एक रेगुलेटर है, जो सब कामों को देखता है कि एजुकेशन किस दिशा में ले जाए, जिस तरह से कोर्सेज़ हों नये होम्योपैथि कॉलेज खोलने के लिए उनका आदेश/अप्रूवल हो और जो existing hommoeopathic colleges हैं, उनका भी विस्तार किस तरह से किया जाए, उसका भी अधिकार उसी को था। लेकिन सरकार ने होम्योपैथिक काउंसिल को सुपरसीड करते हुए, उसको बाइपास करते हुए सीधे ही यह कार्य अपने हाथ में Board of Governors के माध्यम से लिया है। मैं समझता हूं कि यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार के ऊपर निरंतर इस तरह के आरोप लगते हैं- इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता को खत्म करने का, उनको एक-एक करके खत्म करने का.. उसमें सभी इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें ज्यूडिशियरी से लेकर, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई तथा और भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कमज़ोर करने के, उनकी स्वायत्तता को खत्म करने के आरोप लगते हैं। मैं समझता हूं कि उसी एक कार्यशैली और कार्य संस्कृति का यह हिस्सा है कि इस सेंट्रल काउंसिल को खत्म करके, जो एक प्रतिनिधि संगठन है, रेगुलेटर है, एक्सपर्ट्स की काउंसिल है, उसको सुपरसीड करके सरकार सीधे आयुष मंत्रालय के माध्यम से हस्तक्षेप करके स्वयं run करना चाहती है, जो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से सही नहीं है। दूसरे, जो अध्यादेश सरकार लाई है, अध्यादेश लाने के पीछे कोई ऐसा formula नहीं है कि हर बार अध्यादेश जारी किया जाए। 2018 में भी अध्यादेश जारी किया गया और 2019 में भी अध्यादेश जारी किया गया। जहां आवश्यक हो, वहां अवश्य अध्यादेश जारी होना चाहिए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल जहां आवश्यक हो, अनिवार्य हो, वहीं करना चाहिए। routine manner में, ऐसे मामलों में अध्यादेश जारी करना, मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह औचित्यपूर्ण है। इस अध्यादेश की तिथि 2 मार्च, 2019 थी और उसके एक सप्ताह बाद चुनावों की घोषणा हो जाती है। क्या वजह थी कि इसके लिए 27 मई, 2019 तक wait नहीं किया जा सकता था? पिछली Central Council का कार्यकाल in supersession में था। उसके Board of Governors की अविध 17 मई, 2019 तक थी और उस समय तक सरकार का गठन हो चुका था। मैं समझता हूं कि इसकी प्रतीक्षा की जा सकती थी।

Indian Medical Council Bill, 2017 की Clause 49 में Bridge course का वर्णन है। Bridge course पर आयुष मंत्रालय का ज्यादा जोर है। उसके बाद जो Homoeopathic Professionals हैं,

खास तौर से rural areas में, आप उन्हें अधिकृत करना चाहते हैं कि वे allopathy का इलाज भी कर सकें। अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो न वह homoeopathy का डॉक्टर रहेगा और न allopathy का डॉक्टर रहेगा बल्कि confusion ही confusion रहेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या standard होगा, standard of treatment क्या होगा - इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना किसी भी तरह से सही नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, यह भी पूछना चाहूंगा कि 2018 में जब अध्यादेश जारी करके Central Council को supersede किया गया और Board of Governors को appoint किया गया, उस समय कहा गया कि उसमें भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब जो व्यवस्था है, क्या मंत्री जी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह भ्रष्टाचार-मुक्त है? हमारे साथी ने यहां ठीक कहा कि भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण Central Council को खत्म किया गया, supersede किया गया लेकिन उसके बावजूद वहां भ्रष्टाचार होता रहा। फिर अध्यादेश लाने का क्या फायदा हुआ? उसके बाद जो Amendment Bill लाया गया, जो बाद में Amendment Act बना, उसके पीछे आपका क्या तात्पर्य था? हम सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था ऐसी की गई, जिससे भ्रष्टाचार रुक जाए।

यह प्रसन्नता की बात है कि देश में होम्योपैथी को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सबसे सुरक्षित और सबको सस्ता इलाज है। मैं हमेशा से होम्योपैथिक इलाज कराता आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सबसे सुरक्षित और सबसे सत्ता इलाज है। मैं हमेशा से होम्योपैथिक इलाज कराता आया हूं और जहां भी जाता हूं, जरूरत इस बात की है कि चाहे कोई डॉक्टर हो, वह बहुत qualified and education प्राप्त हो, अच्छा डॉक्टर हो, क्योंकि इसमें symptoms के माध्यम से ही इलाज सम्भव है और उसी के अनुसार दवा दी जाती है। यदि बुखार है लेकिन पास लगती है तो उसकी अलग दवा है। प्यास नहीं लगती है तो उसकी अलग दवा है। होंठ सूखे हैं लेकिन पानी की व्यास नहीं है तो उसकी अलग दवा है। इसलिए बहुत ही समझदार और योग्य डॉक्टर की इसकी परख कर सकता है और सही इलाज कर सकता है। लोग कहते हैं। कि मर्ज़ बहुत गंभीर है तो allopathy इलाज कराना चाहिए मेरा मानना है कि जहां allopathy इलाज फेल हो जाए, वहां Homoeopathy दवा काम करती है। इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए और विशेष रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी डॉक्टर निकलें, वे बहुत अच्छे, योग्य, कुशल चिकित्सक के रूप में निकलें। एक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् बनी, जो नरेला में बनी, उसको आगे बढ़ाने एवं उसका विस्तार करने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उसको बंद कर दिया। क्या होम्योपैथी में रिसर्च की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारे यहां के लोग इस लायक नहीं हैं कि वे रिसर्च कर सकें और उसको और आगे बढ़ा सकें? मैं माननीय मंत्री जी विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा।

महोदय, सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम मेडिकल केयर के लिए जीडीपी का 1.5 परसेंट खर्च कर रहे हैं और 2025 में इसके लिए जीडीपी का 2.5 परसेंट खर्च करेंगे। यह सरकार का संकल्प है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें आयुष मंत्रालय का क्या रोल है? आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे ? आप इसको किस दिशा में लेकर जाना चाहेंगे ?

[श्री पी.एल. पुनिया]

महोदय, रुरल एरियाज़ में पीएचसी खुल जाती है, एक एलोपैथी डॉक्टर पहुंच जाता है, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं होती है, दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस तरह की व्यवस्था करें कि जहां-जहां पीएचसी खुले, वहां पर अनिवार्य रूप से होम्योपैथी डॉक्टर की नियुक्ति हो और वहां पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

महोदय, एक चुनौती थी, बिहार में जो चमकी बुखार आया, मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि कहीं न कहीं यह पढ़ने को मिलेगा कि जहां पर एलोपैथी की दवा फेल हो गई, वहां पर होम्योपैथी की दवा कारगर हो रही है और उसका सशक्त रूप से इलाज हो रहा है, लेकिन आयुष मंत्रालय की तरफ या होम्योपैथी विभाग की तरफ से इस तरह की कोई पहल नहीं हुई, इस दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हम इस संबंध में विशेष रूप से जानना चाहेंगे।

आप यह जो बिल लेकर आए हैं, हमें इसका तो समर्थन करना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को supersede करने जा रहे हैं, repeal करने जा रहे हैं और इस तरह से आप नई व्यवस्था ला रहे हैं। जब National Homoeopathy Commission का बिल आएगा, तब इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आज जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि उसका भी समावेश उसके मसौदे में किया जाए, उसके ड्राफ्ट में किया जाए।

महोदय, मैं अधिक न बोलते हुए यही कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आयुष मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, लेकिन जो व्यवस्था देखी जा रही है, उसमें लगता है कि आयुष मंत्रालय को और अधिक सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता है। महोदय, जो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री अजय प्रताप सिंह। आपकी पार्टी की तरफ से चार वक्ता हैं, आप लगभग 8 मिनट बोलें।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे भारत देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का जो परिदृश्य है, मोदी सरकार के आने के पूर्व तक कोई बहुत अच्छा परिदृश्य नहीं था। मैं स्वयं का अनुभव इस सदन से साझा करना चाहता हूं कि आज से 10-15 साल पूर्व तक जिस क्षेत्र में मैं आता हूं, उस क्षेत्र में मलेरिया जैसी साधारण बीमारी से एक गांव में 10-20 मौतें हो जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं होता था। अब बरसात का मौसम आ गया है। बरसात के मौसम में लोग नालों और कुओं का गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर होते थे और फलस्वरूप डायरिया जैसी बीमारी से अनेक लोग काल के गाल में समा जाते थे। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि देश की इस महती आवश्यकता को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो परिदृश्य है, उसे बदलने के लिए संकल्पित हुए। आदरणीय मोदी जी ने देश में आयुष्मान योजना लागू की। हमारे यहां एक कहावत है, "जाके पांव फटी न बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई"। आज़ादी के 70 वर्ष हो गए थे, हमारे देश की बहुत बड़ी

आबादी थी और इस आबादी में बहुसंख्या गरीबों, अशिक्षितों की थी, इसलिए हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता देनी चाहिए थी, लेकिन इस क्षेत्र की हमेशा अपेक्षा की गई, इसीलिए मैंने यह कहावत आपके सामने उद्धृत की है। जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वे गरीबों के दुख-दर्द को नहीं जान सकते हैं। इस आयुष्मान योजना के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के मर्म को छुआ है। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं, जिन परिवारों में जब कोई गंभीर किस्म की बीमारी हो जाती थी, तो अपनी आंखों के सामने अपने प्राणी को तड़पता हुआ देखते थे और धीरे-धीरे मौत के मुंह में जाते हुए देखते थे। वे उसका इलाज नहीं करा पाते थे। उस समय वे अपनी गरीबी को कोसते थे, अपनी बेबसी को रोकते थे, अपने भाग्य को कोसते थे कि मैं इस गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, लेकिन मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना लागू की, उस आयुष्मान योजना के माध्यम से अब किसी गरीब को रोना नहीं पड़ता, अपने भाग्य को कोसना नहीं पड़ता। अब कोई गरीब परिवार का प्राणी कम से कम इलाज के अभाव में काल के गाल में नहीं जाता है।

आदरणीय मोदी जी ने ही पूरे देश में 20 एम्स की स्थापना की। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही गरीबों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्रों की स्थापना हुई, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जो शारीरिक उपकरण लगते हैं, उनकी कीमत किस तरीके से सस्ती की जा सकती है, इसके बारे में पहल की गई। मैं यह पृष्ठभूमि इसलिए रख रहा हूं, ताकि इस सदन को सरकार की प्राथमिकता का अंदाजा हो। यह जो बिल आया है, जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, यह भी स्वास्थ्य क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार की एक नई पहल है। इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बिल की आवश्यकता के संदर्भ में आदरणीय मंत्री जी ने इसकी पृष्ठभूमि में सारी बातें रखी हैं। हमारे एक साथी ने भी इसकी पृष्ठभूमि में सारी बातें रखी हैं। जो कानून बना हुआ था, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहा था। जो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् सन् 1973 के अधिनियम के माध्यम से गठित की गई थी, उस केन्द्रीय परिषद् में बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार था। इससे बड़ा भ्रष्टचार क्या हो सकता है कि उसका मुखिया सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए इस केंद्रीय परिषद् को भंग करने की आवश्यकता थी। केवल इतना ही नहीं इस केंद्रीय परिषद् ने केंद्र सरकार के बार-बार दिए गए निर्देशों की भी अवहेलना की। केंद्र सरकार चाहती थी कि होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में, होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का उपयोग किया जाए, डिजिटलाइजेशन को प्रयुक्त किया जाए, लेकिन केंद्रीय परिषद् ने इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसलिए यह बड़ा लाज़िमी हो गया था कि केन्द्र सरकार इस केन्द्रीय परिषद् को भंग करे। इसको भंग करके केन्द्र सरकार ने ये अधिकार उस समय के शासी बोर्ड को सौंप दिए और शासी बोर्ड को इस कार्य के लिए एक साल के लिए नियुक्त किया। फिर, बीच की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि एक साल के अंदर केन्द्र सरकार को केन्द्रीय परिषद् का गठन करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से केन्द्र सरकार इस केन्द्रीय परिषद् का गठन नहीं कर पाई, जिनमें से एक कारण तो चुनाव था और दूसरा कारण यह था कि राज्यों से जो होम्योपैथी रजिस्टर प्राप्त होना था, वह समय से प्राप्त नहीं हो पाया, जिके कारण सरकार केन्द्रीय परिषद् का गठन नहीं कर पाई। इसलिए यह आवश्यक था कि इस केन्द्रीय परिषद् का गठन करने के लिए सरकार को कुछ और समय मिले और जब चुनाव सामने आ गय, तो सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई और अब उस अध्यादेश को वह इस संशोधन विधेयक के माध्यम से प्रतिष्ठापित कर रही है।

[श्री अजय प्रताप सिंह]

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय परिषद् का गठन करने की जो पहल की जा रही है, मेरी दृष्टि में इसके दो-तीन उद्देश्य हैं। केन्द्रीय परिषद् के माध्यम से होम्योपैथी क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा था। आपने देखा होगा कि होम्योपैथी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज़ थे, जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको मान्यता दी जाती थी, फिर भी वे काम कर रहे थे और एक तरीके से होम्योपैथी की प्रतिष्ठा उन कॉलेजों के माध्यम से नीचे गिर रही थी। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज़ थे, जो नॉर्म्स तो पूरा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मान्यता नहीं दी जा रही थी और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि केन्द्रीय परिषद् में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसलिए इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार के लिए यह बहुत आवश्यक था कि वह केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन करे। आदरणीय मोदी जी का संकल्प भी है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, इसलिए जहां भी भ्रष्टाचार है, जहां भी अनाचार है, वहां पर केन्द्र सरकार कठोर कदम उठाती है और इस केन्द्रीय परिषद् को भंग करके सरकार ने इसी दिशा में पहल किया था।

इस केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन के माध्यम से दूसरी बड़ी बात यह स्पष्ट हुई कि होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, वे भी अपना कोर्स साढ़े पांच साल में पूरा करते हैं और एलोपैथी डॉक्टर्स भी अपना कोर्स पांच साल में पूरा करते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा एलोपैथी के डॉक्टर को मिलती है, वह भ्रष्टाचार के कारण होम्योपैथी के डॉक्टर को नहीं मिलती। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए होम्योपैथी चिकित्सा को इस भारत क्षेत्र में और अधिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी केन्द्रीय परिषद् को सक्रिय और सजग करना पड़ेगा। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार उस उद्देश्य को भी प्राप्त करना चाहती है।

केन्द्र सरकार का संकल्प है कि हिन्दुस्तान में 1 लाख, 25 हज़ार हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब भाई-बहनों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल की जाए। इन हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स में से 10 प्रतिशत हिस्सा आयुष विभाग को सौंपा गया है, यानी लगभग 12,500 हेल्थ और वैलनेस सेंटर्स की जिम्मेवारी हमारे होम्योपैथी चिकित्सकों को सौंपी गई है।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए, माननीय अजय जी, क्योंकि आपके दल से चार वक्ता हैं और हर आदमी औसत आठ से नौ मिनट बोल सकता है। आप ऑलरेडी नौ मिनट बोल चुके हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री अजय प्रताप सिंह: वे ग्रामीण भाइयों के स्वास्थ्य को देख-रेख करेंगे। मैंने इस विधेयक के तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास किया है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी। प्रोफेसर साहब, आपके पास कुल छः मिनट का समय है।

प्रो. राम गोपाल यादव: आठ मिनट?

श्री उपसभापति: छः मिनट।

प्रो. राम गोपाल यादव: छः मिनट में क्या बोल पाएंगे?

श्री उपसभापति: आप तो बिल्कुल समय के तहत बोलते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, इस अध्यादेश को जिस बिल के रूप में लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हमारे कुछ रिज़र्वेशंस हैं। जो पिछली हैल्थ कमिटी थी, उसके चेयरमैन के रूप में मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है। जिस तरह से इस कमीशन को लाने के लिए इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी के सामने भेजा गया था, उसी तरह से एमसीआई को लेकर इस नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट भी हमसे मांगी गई थी और कमिटी से कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट जल्दी दो। एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगा गया, तो फिर 15 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी... प्रधान मंत्री जी की आयुष्मान योजना है, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार होता है। पुनिया साहब ने कहा था कि ब्रिज कोर्स पर बड़ा ज़ोर था। कमेटी के लिए मेम्बर्स Allopathy के डॉक्टर्स थे, वे सब खिलाफ थे, वे नहीं चाहते थे, लेकिन श्री जयराम रमेश जी के माध्यम से बीच का रास्ता निकाला गया कि इस मामले को राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि वे ब्रिज कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद ही दो बार सत्र निकल जाने के बाद अब तीसरे सत्र में वह विधेयक लाया गया है। माननीय मंत्री जी, यह ज़रूर बताएं कि जब यह बिल यहां से पारित हो जाएगा तो उसके बाद नेशनल होम्योपैथी कमीशन वाला बिल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा?

सर, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया पर जब कमेटी ने रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब कोई उस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया को स्वयं supersede कर दिया और उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिए और यह कहा कि एक साल में बिल लाइए। एक साल में बिल नहीं लाए, तो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया फिर ज़िन्दा हो गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें टाइम दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको और टाइम नहीं देंगे, आपको एक साल का टाइम दिया गया था, आप एक साल में बिल नहीं ला पाए। वह ज़िन्दा हो गई, फिर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार के वकील को बहुत डांट लगाई, तब अध्यादेश लाया गया और फिर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया को भंग किया गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां बहुत पुरानी पद्धतियां हैं। हिन्दुस्तान में आयुर्वेद का अनंत काल से प्रचलन है, पहले सिर्फ यही था। सारा अथर्ववेद आयुर्वेद ही है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग इसके प्रति बहुत उदासीन हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छी है। पुनिया साहब ने जो कुछ कहा, बिल्कुल सही कहा है। यह बहुत अच्छी पद्धति है और इससे गरीब लोगों का इलाज हो जाता है, यह महंगी नहीं है और कुछ रोगों में यह रामबाण है। एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता, वह होम्योपैथी से हो जाता है। 70 के दशक में मुझे इतना severe migraine का pain होता था कि देश के सारे बड़े-बड़े न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट्स फेल हो गए थे। उस समय लखनऊ में डा. घोष हुआ करते थे, वे बहुत बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे दोबारा वह दर्द नहीं हुआ। Nobody could cure it, but he cured it. लेकिन अगर यही बात एलोपैथिक की मानसिकता वाले लोगों से करें तो कहेंगे कि यह तो बेकार है और सरकार का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। आयुष के लिए सबसे कम बजट और बाकी के लिए पता नहीं कितना बजट है? माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आयुष पर ध्यान दीजिए। अगर वित्त मंत्री जी अपने साथ में बैठे हुए मंत्री जी

[प्रो. राम गोपाल यादव]

के ऊपर थोड़ी कृपा कर देंगी तो यह गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। उसमें करप्शन था इसलिए वह भंग किया गया था और ऑर्डिनेंस लाया गया था। क्या आपको नहीं मालूम है कि मान्यता के लिए और सीटें बढ़ाने के लिए कॉलेज वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चक्कर लगा रहे हैं? जैसे काउंसिल का लगाते थे। अब भी वही स्थिति है। You had to supersede it because of corruption, but corruption still prevails. You will have to look into it. You will have to monitor it. अगर मामला जैसा का तैसा बना रहा तो इसका कोई लाभ नहीं हो सकता। यह ऐसी पद्धति है और आपका पूरा विभाग ऐसा है जिसमें आम लोगों की बहुत आस्था है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं। मैं जहां से आता हूं, वहां के बारे में अच्छी तरह जनता हूं कि जब होम्योपैथी का बस नहीं चलता, तब allopathy वालों के यहां जाते हैं। वरना वे आयुर्वेद की दवा ले लेंगे और नहीं तो बुखार आ जाए, तो चाय में तुलसी, काली मिर्च, अदरक यही डाल कर पी लेंगे और कहेंगे कि इससे ही ठीक हो जाएंगे और लोग ठीक भी हो जाते हैं। 50-60 परसेंट लोग तो ऐसे होते हैं, जो खुद की इलाज कर लेते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, तो 70 परसेंट लोग बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं। 30 परसेंट लोगों में भी 3-4 परसेंट लोग ऐसे होते हैं, जो मेदांता और जो अन्य अस्पताल हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, वहां जाते हैं, वरना सब सामान्य अस्पतालों में जाते हैं और कुछ बिना अस्पताल जाए ही ठीक हो जाते हैं।...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं यह कहना चहूंगा कि यह गरीबों के लिए हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूंगा कि आप बढ़िया डॉक्टर्स तैयार कीजिए। आज होम्योपैथी वाले जो दवा prescribe करते हैं, वह जर्मनी की ही करते हैं। आज जब मेक इन इंडिया का जमाना चल रहा है, तो क्या इतनी बढ़िया किस्म की दवाइयां, होम्योपैथी की दवाइयां हिन्दुस्तान में नहीं बन सकती हैं? हमारा mindset ऐसा बना दिया गया है कि होम्योपैथी की दवा, जो जर्मनी की Reckeweg कंपनी की है या दूसरी कंपनी की है, वह ही सबसे बढ़िया है और यहां वाली काम नहीं करती। वह थोड़ी महंगी आती है, मजबूरन लोगों को उसको खरीदना पड़ता है। हमारे यहां जो होम्योपैथी की दवाइयां बनती हैं, उनकी गुणवत्ता को भी संभालने की कोशिश कीजिए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होम्योपैथी के renowned doctors ही होने चाहिए। यह जो अफसरशाही और नौकरशाही करती है, वह मत करिएगा। आप ministers हैं। वे ministers ही अच्छे होते हैं, जो dotted line पर दस्तख्त नहीं करते हैं।...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: प्रो. साहब, ठीक है। प्रो. साहब, आप समय से अधिक बोल चुके हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक non-IAS officer को आयुष मंत्रालय का सेक्रेटरी बनाया गया। हमने उनको सुना है he is a very competent person. कोई भी उस तरह का आईएएस अफसर हम लोगों के सामने अन्य विभागों का, हैल्थ का नहीं आया है, जिस तरह के सचिव आयुष मंत्रालय के हैं। आपके विभाग को, अगर वित्त मंत्री जी की मदद मिले, तो उनसे बहुत कुछ फायदा हो सकता है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्रो. साहब, आप कन्क्लूड करिए। ऑलरेडी दो मिनट हो चुके हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, the 1973 Act was amended in 2018 to provide for the supersession of the Central Council. The Central Council was required to be reconstituted within one year from the date of its supersession. In the interim period, the Central Government constituted a Board of Governors to exercise the powers of the Central Council. The Ordinance amends the Act to increase the time period for supersession of the Central Council from one year to two years. My suggestion is: (i) There should be supervision mechanism for Homoeopathy, Siddha, Indian Medicine and Ayurvedic medical institutions; (ii) The affairs of the Central Homoeopathy Council should be entrusted to a Board of Governors comprising eminent and qualified Homoeopathy doctors and eminent administrators. The tenure has been extended since the Council could not be reconstituted within one year due to non-updation of State Registers of homoeopathy during general elections; (iii) All Primary Health Centres (PHCs) should have a Homoeopathy doctor. Only then will the treatment be given to all the village people; (iv) A permanent Homoeopathy doctor be appointed at our Parliament Annexe Medical Centre and at Rashtrapati Bhavan clinic which are functioning under a contractual system. I urge the Homoeopathy Council to look upon starting a university in my district in Kanyakumari because in our district so many Unani, Homoeopathy and Siddha doctors are giving medicine in our villages. So, in our district, say, in case of back pain, they are telling L5, L4, like that. In those cases, in our district, there are so many Homoeopathy and unani doctors, who have given treatment, and within 5 to 10 days, without operation, it is completely cured. So, I urge the Government to grant a university in our district Kanyakumari and, Sir, I support this Bill.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, Thank you very much, for giving me the chance to speak on this Bill. Sir, I would have become happy, if our Government would have given sufficient opportunity earlier to improve this age-old system of medicine. In my opinion, it is nothing but another backdoor process of grabbing the power of another democratically-elected autonomous body, which we have been witnessing since so many years. Sir, our present Central Government has broken the previous record of bringing Ordinances. As far as my knowledge goes, previously it was maximum one or two Ordinances for ten Bills, now, it has crossed more than four for ten Bills. It is really shocking. Sir, I would like to put forward certain important points before this august House. In the year, 2018, the Central Council of Homoeopathy was dissolved based on certain allegations of corruption against the then existing Central Council of Homoeopathy. And, a Board of Governors, consisting of seven members, was formed at that time. Sir, the most unfortunate part of the story is that till date, one post is lying vacant, out of those seven Board of Governors. Secondly, one year has passed but that post is still lying vacant. The charge of corruption

[Dr. Santanu Sen]
was there against the then Central Council of Homoeopathy, but, unfortunately, no charge could be proved in the last one year. Sir, it was ensured that a democratically-elected CCH will be formed in one year. Unfortunately, that election could not be held in the last one year. So, I am becoming apprehensive as to whether in the coming years, this Government will really be able to hold the election or not. In the year 2019, this Bill was again brought in Lok Sabha on 27th June with a proposal of extension of duration of this Board of Governors for another one year. Sir, my certain observations and reservations are like this. First of all, the then Central Council of Homoeopathy used to be formed by the process of a democratic election. But, whenever there was a provision of Board of Governors, it was not known to all of us as to what the criteria for being a member of Board of Governors was. I don't know on what basis, the Government selected the members of Board of Governors. So, I once again believe that it is nothing but only an effort of grabbing the power and giving it in the hands of bureaucrats and nothing else. Sir, my question is why the election could not be held in the last one year and why the vacant post could not be filled since last one year. The Homoeopathy system is an age-old system of our country and as far as my State of West Bengal is concerned, it is the pioneer of this Homoeopathy system. But, most unfortunately, not a single representative from this pioneer State of Homoeopathy, has been given an opportunity to be a member of this Board of Governors. Sir, it is very pertinent to note that in our State of West Bengal, when our present Chief Minister, Madam Mamata Banerjee took the charge as Chief Minister-cum-Health Minister in the year 2011, the health Budget was only ₹ 682 crores. Now, in 2019, it has become ₹ 9,700 crores. I repeat, it has become ₹ 9,700 crores. So, it is an increase of nearly 14 times. Unfortunately, on the other side, in our country, the health Budget is meagerly 1.5 per cent of the total GDP. Moreover, we have seen that out of the total Budget of the AYUSH Department, the Homoeopathy gets only 13 per cent. It is reflected in the name of AYUSH itself, as it stands for Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homoeopathy . Homoeopathy comes last in AYUSH and so is the case with budgetary allocation for homoeopathy; it is only 13 per cent of the total Budget for AYUSH Department.

Sir, I would like to highlight certain important points of my own State. Regarding the status of Medical Officers of Homoeopathy in India, I must let you know that there are total 71 posts, and 39 posts are lying vacant, that is, more than 50 per cent vacancies. In the CGHS Wellness Clinics in West Bengal, the total number of posts created was 10, and there are six vacancies. So, 60 per cent posts are lying vacant there. Especially in the clinics like Airport Clinic, there are two vacancies; in Shyambazar Clinic, there are two vacancies; and, in Dover Lane Clinic, there are two vacancies. These clinics are very important, so far as their geographical distribution is concerned, but the posts are lying vacant. Sir, as per the

3.00 P.M.

need of the hour, few more posts should be created, especially for places like Siliguri, Jalpaiguri, Asansol and Durgapur.

Sir, I would like to let you know about the status of outreach camps in West Bengal. There are only ten camps, whereas there should be, at least, three per district, that is, for 23 districts, there should be, at least, 69 camps. Finally, Junior Research Fellows and Senior Research Fellows should be given the due importance.

Sir, if you go to our National Institute of Homoeopathy, which is situated in Kolkata, you will start crying; I repeat, you will start crying. The situation is so horrible. The faculty members are not there. Patients hardly like to go to that particular National Institute to get treatment. Then, same is the condition with the Shillong Institute, which was supposed to be the best Institute in the North-East.

Sir, it is my humble submission that our Government should give due importance to the betterment of this age-old system of homoeopathy, instead of going for the Bridge Course. As it was mentioned by my previous speaker, instead of improving this homoeopathy system, they are trying to run a Bridge Course through which our homoeopaths and ayurvedic doctors are allowed to practise modern medicine. In this way, they neither become good homoeopaths nor do they become good allopaths. So, these points must be taken into consideration. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय राम नाथ ठाकुर जी। आपके पास तीन मिनट का समय है।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूं। होम्योपैथी मेडिकल साइंस की विधा है और ये बीमारियों को लक्षण के आधार पर सुधारने का काम करती है। मैं दो-तीन सुझाव आपके और सरकार के बीच रखना चाहता हूं।

[**उपसभाध्यक्ष, (श्री टी.के. रंगराजन)** *पीठासीन हुए*]

दो वर्ष जो किया गया, वह क्यों किया गया? आपने इसके विषय में इस विभाग के कुछ लोगों से पूछने के काम किया अथवा नहीं? दो वर्षों का जो समय आपने बढ़ाया है, क्या आप दो वर्षों में जो किए गए वायदे हैं, संशोधन के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, उनको पूरा कर पाएंगे? चूंकि आपने इस वर्ष गंवाने का काम किया है, तो क्या आप दो वर्षों में इसका सुविधानुसार निष्पादन करने का काम करेंगे?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी कॉलेज की जो स्थिति है, उस स्थिति को आप सुधारने का काम करें। जो कागज़ी हैं, उन पर लगाम लगाने का काम करें और जो कॉलेज होम्योपैथी के हैं, उनको प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा अच्छे वातावरण में बनाने का काम करें और अच्छे प्रोफेसरों को उनमें लाने का काम करें, जिससे लोग उनसे प्रभावित हों और अच्छे ज्ञान को हासिल कर सकें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार गरीब लोगों के लिए होम्योपैथिक दवा सुलभ और सरल रूप में उपलब्ध करवाए। इसमें गरीब का हित ज्यादा सधेगा। जो भ्रष्टाचार के मामलों में हैं, उन पर

[श्री राम नाथ ठाकुर]

आपकी तरफ से समय-सीमा के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने होम्योपैथी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों की संख्या आपने जानने की कोशिश की है अथवा नहीं की है, उनमें कितने प्रोफेसर्स हैं, वे उनमें किस विधि से नियुक्त हुए हैं और वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? होम्योपैथी में जो शोध हो रहा है, उस शोध में कितने लोग आगे आए हैं और उस शोध से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, इसकी आपने निगरानी की है या नहीं की है, इसकी जानकारी की है कि नहीं की है, यह मैं पूछना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. Now, Shri Elamaram Kareem. ...*(Interruptions)*... Are you not speaking? ...*(Interruptions)*... Okay. Next speaker is Prof. Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I rise to extend my support to this Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नाथ ठाकुर: प्रो. साहब, आप हिन्दी में अच्छा बोलते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, इसको मेरे टाइम में मत जोड़िएगा। मैंने हरनाथ सिंह यादव जी को देख लिया है कि वे नहीं हैं। वह अक्सर हमें कहते हैं कि तुम हिन्दी में ही बोलो। सर, पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में जहां पर टेक्नीकल इश्यूज़ आते हैं, वहां मुझे अंग्रेजी की शरण में जाना पड़ता है। वैसे अगर कोई बात हो, तो तकरीर हिन्दी में होगी।

Sir, please start my time now. Let me start by making my first observation in this Bill. When you say, ' eminent and qualified doctors' , please ensure that there is a parameter on the basis of which you will decide ' eminent and qualified homoeopath doctors' because doubtful degrees also have a sense of ascendance in these times. So, this must be kept in mind.

Secondly, Sir, the ordinance route should be avoided. Many speakers have spoken about it. I will not repeat the points but I would say, the Government should not appear as a ' ordinance factory' and this should be a message for everyone. Sir, why did it take so many years in addressing the ailment which all of us knew? हम सबको इसकी बीमारी के बारे में पता था। जो काउंसिल पुरानी थी, उसमें क्या दिक्कतें हैं। सर, मेरा एक और आग्रह है। मैंने बीते कई वर्षों में देखा है कि एक टेंडेंसी है सेंट्रलाइजेशन की, चीज़ों को केन्द्रीयकृत करने की। It is the tendency of taking everything in your hand. Sir, centralization, more often than not, results in centralization of command. We must respect the autonomy and independence of institutions, and, I think, it is very, very important.

Sir, here, I would like to take the opportunity to request the hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, to please increase the Budget in the health sector. The nation would actually boast of Chandrayaan 1 or Chandrayaan 2 and five trillion dollar economy only if our health budget is enhanced. We have a very, very meagre sum in the health sector. We do not need to have rocket science knowledge. Go to any PHC or a District hospital; you would come to know of it. Sir, our sense of hospital and medication is decided by the kind of hospitals we see in Delhi. Sir, Homoeopathy, Unani, Ayurveda and Siddha are different streams of medicines. I somehow beg to differ with the idea of having a bridge course. It will not just dilute them. But it will not strengthen any of these components which are individually very powerful. I have one more request. Please ensure that in each PHC in this country, you have a well-trained homoeopathic doctor. Again, I am repeating this, but please jettison the fake degree holders. Thank you very much, Sir. I did not cross the time-limit. Jai Hind.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, one more Bill to replace the Ordinance and that too had been promulgated on the eve of elections. This Bill may be very important. Of course, apparently, it is innocuous. But what it says is the main thing. It prefers to replace the Ordinance. The 1973 Act was amended in 2018 to provide for supersession of the Central Council of Homoeopathy. The Central Council was required to be reconstituted within one year from the date of its supersession. But now it is further requiring one more year. My other colleagues also asked it here. What was done within this one year? Everyone, I think, is interested to know that. And we should be assured that one more Bill will not be brought here to extend it for one more year, because it is very important. One surprising thing, which I noted in this Bill, is that the NITI Aayog, which set up a Committee to look into the functioning of the Council, had found many lacunae in that. It has observed that the Council has not succeeded in making an effective impact over the elected members. The new Commission, which is going to be constituted, has got a Chairman, *ex officio* members and part-time members. I would like to know whether it will consist of some elected members. Because the Council had. In spite of that, it didn' t function well and up to the expectation. I don' t want to go into the details of the importance of Homoeopathy because of time constraint. Everyone is aware of that. But the Council, which is meant for that, has not performed well and the Commission, which is going to replace that, does not contain, it seems, elected members. I think this may not be democratic, as Dr. Sen, the former IMA President, pointed out here. One surprising and interesting thing that I noted is that this Committee has found that the concentration and centralization of all functions in one body makes the Council unwieldy. Sir, NITI Aayog speaking against centralization is a very good thing and it should be welcomed. These days powers have been heaped in one place. And it says that in this Council, powers have been centralized and concentrated in one area.

[Shri Tiruchi Siva]

However, it says that creation of many independent bodies with sharp demarcation of functions will create confusion in coordination. It suggests that there will be four important bodies to look after four important things. One is the regulation of undergraduate Homoeopathy education. Second is the regulation of post-graduate Homoeopathy education. Third is the accreditation and assessment of the institutions. And the fourth one, which is very important, is the regulation of practice of profession. That is the foremost one. It is said that all these things should be taken note of in the Commission. I expect from the Minister that the Commission will be constituted at least within one year. If it has to function democratically, I think some elected members would also be there in that as they were there earlier in the Council. It should not give rise to an apprehension that powers are centralized in one corner. The observation that how the Council had functioned all these years is very shocking and it should not be repeated. At least, hereafter, the future of Homoeopathy should be made healthy through this amendment Bill. Thank you very much, Sir.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, होम्योपैथिक विधेयक जो लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं इसके साथ ही इतना निवेदन भी कहना चाहूंगा कि अध्यादेश लाने का तथा परिषद् को भंग करने का जो कारण बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार के कारण परिषद् को भंग करने का काम किया गया है, इससे निश्चित रूप से जो सरकार की नीयत है, उसमें संदेह पैदा होता है। माननीय उपसभापति जी, इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर इसमें यह प्रयास किया गया होता कि परिषद् में जिसने गलत काम किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही होती, अगर इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार होता है कि भ्रष्टाचार क्यों हुआ है, उसमें किस तरह के सदस्यों का मनोनयन किया गया था, किस तरह की योग्यता के लोग वहां सदस्य बनाए गए थे, वे उस मापदंड के लायक थे या नहीं थे, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया होता और उसके बाद परिषद् के गठन का प्रस्ताव आता, तो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा होता।

मान्यवर, जहां तक होम्योपैथी का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। आज गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो व्यक्ति एलोपैथी की दवाई के माध्यम से अपनी बीमारी का उपचार नहीं करा पाते, वास्तव में उनके लिए होम्योपैथी की दवाई एक जीवन रक्षक दवाई के रूप में है। यह हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है, यह दवाई सरकार की किसी प्राथमिकता में नहीं है।

माननीय उपसभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि अगर वास्तव में सरकार की गरीबों के प्रति हमदर्दी है, तो होम्योपैथी का उपयोग बढ़ाना चाहिए, उसका बजट बढ़ाना चाहिए, उसके रिसर्च सेंटर्स बढ़ाने चाहिए, हमारे जो सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर इसकी शाखाएं

खोलनी चाहिए और केरल की तर्ज पर इसे पंचायत स्तर तक ले जाना चाहिए ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके। इस दिशा में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो, लेकिन आज इसके प्रचार-प्रसार की अत्यंत जरूरत है, ताकि इसके प्रति गरीबों का विश्वास बढ़ सके और गरीबों को इसकी जानकारी मिल सके। अगर सरकार की नीयत नहीं होगी, इसका बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, केवल भ्रष्टाचार के नाम पर परिषद् का पुनर्गठन किया जाएगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें नीयत साफ होनी चाहिए।

महोदय, किसी ने कहा था कि,

"अगर लहर-लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो,
कल के चमन पर बहारों की नजर टेढ़ी हो,
कैसे पहुंचेगी पालकी पिया के देश,
जब भोली दुल्हन पर कहारों की नजर टेढ़ी हो।"

माननीय सभापति महोदय, इसलिए सबसे जरूरी है कि गरीबों के प्रति सरकार की अच्छी नीयत होनी चाहिए कि हमें किस तरह से गरीबों के जीवन की रक्षा करनी है। अगर यह नीयत ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी की दवाइयां हमारे गरीबों को मिल सकेंगी और गरीबों का जीवन बच सकता है।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि "आयुष्मान योजना" के तहत गरीबों के लिए दवाइयां दी जा रही हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसमें भी वही नीयत का सवाल है। इसके आंकड़े तो दिए जाते हैं, जानकारियां भी दी जाती हैं, लेकिन आज भी देश में गरीबों को "आयुष्मान योजना" का फायदा नहीं मिल रहा है। कितने गरीब ऐसे हैं जो जांच और दवाई के चक्कर में जाना छोड़ देते हैं, दवाई कराना बंद कर देते हैं। उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार केवल आंकड़ेबाजी से गलत आंकड़े देकर, प्रचार-प्रसार में पैसा लगाकर इसको साबित करना चाहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जितना पैसा "आयुष्मान योजना" के प्रचार-प्रसार में लगा रही है, अगर उतना ही पैसा होम्योपैथी की दवाई के क्षेत्र में लगा दिया जाए, उसका बजट बढ़ा दिया जाए, तो निश्चित रूप से गरीबों को फायदा मिलेगा और गरीब लोग अपने जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे।

माननीय उपसभापति जी, इसी तरह से अगर रिसर्च के क्षेत्र में पैसा लगाया जाएगा, तो आज जर्मनी से बनी हुई जो दवाई आती है वह देश में ही बन सकती है - सरकार कहती है कि "स्वदेशी हमारा नारा है", उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार स्वदेशी को बढ़ाना चाहती है, तो इस क्षेत्र के रिसर्च में पैसा लगाएं, रिसर्च की संस्थाएं खोलें, जिससे हमारे देश में होम्योपैथी की अच्छी दवाइयां बन सकें और उसका फायदा हमारे देश को मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद!

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, let us see the background and the objective for which the Homoeopathy Central Council was formed. The objective of the Council through the Act in 1973 was that people should get good homeopathic medical services,

[Dr. Vikas Mahatme]

quality homeopathic medical services and this would have been possible through proper education in medical colleges and through registration of the homeopathic practitioners. But I feel that these objectives were not achieved since nearly say 50 years. Personally, I am not against Homoeopathy mode of treatment and I know that people believe in Homoeopathy, specially, for chronic diseases and allergies. I do agree with that but there are many problems with that existing system and that is why if we want to solve those problems, we need a change. What were the problems? If you see, the medical colleges were not accredited. There were many medical colleges which were not accredited but still the students were coming out from these colleges as homeopathic medical practitioners. Secondly, when they treated the patients, they used all allopathic drugs. Therefore, this creates more problems for the health of Indians, especially, in the rural areas. अभी हमने सुना कि यह गरीब लोगों के लिए है, जरूर है और यह होना भी चाहिए। Homoeopathy promote होनी चाहिए, लेकिन क्या उनको allopathic medicines देनी चाहिए, जबकि उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी हुई है और उनकी उसके बारे में पढ़ाई नहीं हुई है? मुझे यह लगता है कि यह जो हो रहा था, यह बंद होना चाहिए था। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि हम एक नई Homoeopathy Central Council शुरू करें। लेकिन उसमें समय लगता है, इसलिए यह एक Ordinance लाया गया था।

Sir, the minimum standard education requirements were established but those were not followed by the existing Central Council of Homoeopathy. 121 homeopathic medical colleges थे, जो accreditation के लिए fit नहीं थे, फिर भी उनको amnesty scheme की तरह से admissions allow किए गए, ताकि उन students का नुकसान न हो। हमने students के लिए यह काम किया, लेकिन यह सोच रहनी भी जरूरी है कि जो students pass out होंगे, क्या वे सही तरीके से Homoeopathy treatment कर पाएंगे और जो हम चाहते हैं कि गरीब लोगों की treatment अच्छी हो, क्या हम वह उद्देश्य सफल कर पाएंगे? यह काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, यह सबको पता था, फिर भी हम नहीं चाहते कि उसमें बदलाव आना चाहिए। चूंकि सब पूछ रहे हैं, कि इतनी emergency क्या थी, तो हम सबको पता भी है कि जो Head of the Council of Homoeopathy थे, उनके against काफी corruption charges लगे थे। इस तरह से काउंसिल का जो मकसद था, वह fulfill नहीं हुआ। इसलिए यह Ordinance लाना बहुत जरूरी था, ऐसा मुझे लगता है।

वैसे ही, registration, जिसके लिए सरकार ने बताया था कि आप इसे digitalize करो, इसके लिए computerized system होना चाहिए कि ये-ये डॉक्टर्स registered Homoeopathy practitioners हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सरकार बता रही है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब परेशानी होती है, who is responsible for the health of the people of India? Ultimately, the Central Government is definitely responsible and if Government' s suggestions are not followed, then, there is no other alternative but to bring an Ordinance. मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत जल्दी में हुआ है। एक्चुअली इसकी जरूरत भी थी

और corruption charges की वजह से वह उसी वक्त लाना जरूरी भी था। सर, एक बॉडी में जो भी changes होने चाहिए थे, यदि गवर्नमेंट उसके लिए responsible है, तो गवर्नमेंट को इसे करना जरूरी है। इसमें rules and regulations, and law जो हैं, वे अच्छे तरीके से देखे जा सकें, इसलिए यह Standing Committee on Health के पास भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही एक नई बॉडी फॉर्म की जा सकती है, तब तक यह जरूरी है कि इस ऑर्डिनेंस को हम extension दें। उसके बाद, एक अच्छी Central Council of Homoeopathy फॉर्म करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उसमें सबका suggestion लेकर ही उसको फॉर्म करना चाहिए। सरकार की तरफ से उसी का प्रोसीजर हो रहा है।

माननीय मंत्री जी पूरी तरह से इस काम में जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि इसी तरीके से यह काम हो पाएगा, ताकि एक अच्छी कमेटी बनाई जा सके। उस कमेटी में जो Homoeopathic Doctors हैं, definitely उनका say भी रहना चाहिए। Homoeopathic Doctors का क्या कहना है, किस तरीके से education होनी चाहिए, कैसी quality education रहनी चाहिए, institution accreditation किस तरीके से हो, इसके ऊपर एक Advisory Board है। यह जो Board of Governors है, उसमें Homoeopathy doctors भी हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम homoeopathic doctors की सलाह नहीं ले रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा Ordinance आया है, जिससे हमेशा के लिए यह परेशानी दूर हो जाएगी कि homoeopathy में भी अच्छे students आने चाहिए, अच्छी treatment मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह जो बिल आया है, उससे ये सब काम सफल हो पाएंगे, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shri K. Somaprasad. You have three minutes.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I support this Amendment Bill. In order to avoid the administrative stalemate, this Amendment is necessary. Homoeopathy is an integral part of our Indian healthcare system. As a part of the treatment, several patients depend on this branch. Even though this is a widely accepted branch of healthcare, more attention and nursing of the Government is needed, especially, in homoeomedical education section. Most of the medical colleges are working without proper infrastructure facilities. Much more money has to be pumped in for the infrastructural development. This situation is badly affecting the entire homoeomedical education itself. We have dozens and dozens of homoeomedical colleges but what about the standard of those medical colleges? The medical colleges, which are having the status of Centre of excellence are very few, hardly one or two. Most of the Post Graduate Institutes are also facing the same situation where the mandatory infrastructure facilities are very much below the regulations of the Central Council of Homoeopathy. The academic standard is also going down. This is due to the new amendment in the curriculum and examination schedule. The very basic subject of the Homoeopathic Materia Medica (Medicines) and Organon of Medicine (Philosophy of Homoeopathy) do not have examinations in the first year of the course itself. Due to the

[Shri K. Somaprasad]

lenient attitude in the first year of the course itself, the students are left deprived of the basic foundation to build up their knowledge of the system. At the outset, it affects the quality of the course. Hence, strict interference and supervision from the side of the Central Council of Homoeopathy is a must. Homoeopathic drugs are made from the natural substances and are experimented on healthy human beings by a method called ' drug proving' . New Indian medicines could be added to the Materia Medica by this process by incorporating the student community. For this purpose, separate research institute under the control of CCH should be established. The efficacy of homoeopathic medicines in the prevention and treatment of viral diseases has been clinically proven beyond any doubt in all epidemics till date. A separate Virology Research Institute on this subject is really the need of the hour.

One of the main problems that the homoeo-medical doctors are facing now is the lack of sufficient job opportunities. The Government should take initiative to create further job opportunities. More dispensaries have to be launched. Through the National Ayush Mission (NAM) and NRHM, more funds to the State Health Departments have to be released for this purpose. Thank you.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ashok Siddharth —not present. Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf of the YSR Congress Party, support the Bill. The Central Council of Homoeopathy is an extremely important organization and plays an important role in developing and promoting homoeopathy education and practice. Sir, homoepathic form of medicine is most cost effective. Therefore, it is very popular and in demand in medical stores in our country. Sir, I have only four suggestions to be made to the hon. Minister. The Objects and Reasons of the Bill says that the State registers of the Homoeopathy are not updated, therefore, this Amendment Bill is being brought in. The hon. Minister may explain as to why the registers could not be updated in this period of one year.

The second point is, since the older Council suffered from various inefficiencies and deficiencies, the new Council is both efficient and effective, ensure that this new Council is more efficient and effective in delivering the objectives, and I would advise the hon. Minister that the new Council may consist of doctors plus Government administrators so that the Council can be made more effective in delivering the objectives. Some of the Members have stated have here about corruption charges. So, while designing this new policy, the

Government should ensure that the new Council will conduct regular audits and inspections to oversee the operations.

The last but one point is, Homoeopathy is the third most popular method of treatment in India after Allopathy and Ayurveda. Every year, we produce more than 12,000 Homoeopathy doctors. I request the hon. Minister and the Government of India to ensure that these 12,000 doctors who are produced every year will conform to the standards of the performance. The last point which I would like to make is very important. There are so many primary health centres in India where patients are being treated. Sir, I request the hon. Minister to have one Homoeopathy doctor in every primary health centre. The Primary Health Centres where the doctors are in scarcity, these Homoeopathy doctors may serve the patients so that, at least, the treatment is available to all those who go to the primary health centres in the villages. Thank you.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, जो नियम है, उसके तहत बहस शुरू होने से आधा घंटा पहले, नाम आने चाहिए और नाम अपने व्हिप के माध्यम से आने चाहिए। कुछ लोग सीधे नाम भेज रहे हैं, जो नियम के अनुकूल नहीं है। मेरा सुझाव होगा कि अपने व्हिप के माध्यम से नाम भेजें और बहस शुरू होने से आधा घंटा पहले भेजें।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल - The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019, पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, जो सदन में पुर:स्थापित हुआ है। इसी के साथ मैं सरकार और मंत्रालय द्वारा होम्योपैथिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, सुधार करने के लिए और इसके अंतर्गत जितने colleges आते हैं, उनके माध्यम से अच्छे डॉक्टर्स तैयार हो सकें, इस दिशा में जो प्रयत्न किया गया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं।

यहां मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से, सरकारी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर से, कई बातें कहीं। जब देश में Homoeopathy Central Council Act 1973 में बना, उसके पीछे मकसद था कि देश में एक होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् इस रूप में कार्य करे ताकि उसके अधीन जितने colleges हों, उनमें सुव्यवस्था की जाए और पारदर्शिता के साथ वे काम कर सकें। समय गुज़रने के साथ, 1973 के बाद, 2014 में जिस तरह देश में सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई, उनकी यह सोच थी कि देश में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बातचीत न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामकुमार वर्मा: उन्होंने देश को आश्वस्त किया था कि देश की 130 करोड़ जनता का हम ध्यान रखेंगे और बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का विकास करेंगे - चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का है, रक्षा का है, हैल्थ का है या देश में कहीं भी infrastructure निर्माण करने का है। यह भी कहा गया कि देश में 2014 से पूर्व जो वातावरण था, जब देश में निराशा का माहौल छाया हुआ था, हर वर्ग, हर व्यक्ति और विशेष रूप से गरीब वर्ग इतना निराशा से भर गया था, उसे दिखाई नहीं पड़ता था कि कभी उसके सामने रोशनी आएगी। देश में विकास की गति रुकी हुई थी। विशेष रूप से देश का जो मध्यम क्लास और

[श्री रामकुमार वर्मा]

गरीब वर्ग था, उसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, भ्रष्टाचार के कारण वे सब स्वाहा हो रही थीं। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त था। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने आते ही भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामकुमार वर्मा: उन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि देश से भ्रष्टाचार इसलिए भी खत्म करना है, ताकि देश में गरीबों और मध्यम क्लास के उत्थान के लिए, विशेष रूप से, राजस्व उपलब्ध कराया जा सके। उस समय कुछ लोग और संस्थाएं सरकारी राजस्व का दुरुपयोग करके, गरीब जनता का हक छीन रही थीं। मैं बताना चाहूंगी कि क्यों 2018 में Amendment बिल लाया गया, जो बाद में एक्ट बना, उसके माध्यम से Homoeopathy Council को supersede करके, एक बोर्ड का गठन किया गया। उस समय कहा गया कि 2018 से, जबसे यह विनियमित हुआ, एक वर्ष के अंदर इस परिषद् का पुनर्गठन होगा। उस पुनर्गठन में, जिस तरह की दुविधाओं की तरफ हमारे पूर्व-वक्ताओं ने इशारा किया है, चुनाव का माहौल था, दो वर्ष का समय मांगा गया ताकि यह काउंसिल पुनर्गठित हो सके, इसी कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा, जिसे Act के रूप में हम आज यहां पारित कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यहां जो हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य बैठे हैं, विशेष रूप से, तत्कालीन सरकार में विपक्ष के लोग थे। उस समय भ्रष्टाचार चयन-सीमा पर था। जब माननीय नरेन्द्र जी ने देश के सामने वादा किया था कि गरीबों के हक को छीनने से रोका जाएगा, उसी के तहत, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने देशहित में अनेक निर्णय लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मध्यम क्लास के कल्याण के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए, SIT का गठन किया गया, बेनामी सम्पत्ति एक्ट बनाया गया, भगोड़ा कानून लाया गया, Demonetisation करना पड़ा, GST लागू हुआ और Insolvency and Bankruptsy Act जैसे अनेक कार्य किए गए। फिर देखा गया कि शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उनमें भी करप्शन चरम-सीमा पर पहुंच गया है, उसका भी निराकरण आवश्यक है। हमारे कुछ मित्र सांसदों ने यहां बोला कि जो संस्थाएं democratic system से गठित की गई थीं, उन्हें क्यों भंग किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ऐसा करके उन संस्थाओं पर आक्रमण नहीं, बल्कि उनका शुद्धिकरण किया है। उनको भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद्, जो भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका था, उसके चेयरमैन किसी के काबू में नहीं थे। उन लोगों को 50 साल तक सहन किया गया, उस समय के सरकार के द्वारा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाया गया और उसी के परिणामस्वरूप यह हुआ। वर्तमान सरकार को, जो पुन: अभी आ गई है, बीच में उसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला, उसके चुनाव और दोबारा से उसका गठन करने के लिए वातावरण नहीं बना और विपक्ष ने कोई सहयोग भी नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा यह बात की गई कि उसको क्यों भंग किया गया।

आखिर में एक अध्यादेश के माध्यम से 2018 में उसको supersede किया गया। Supersede करने के बाद किस तरह एक ऐसी बॉडी गठित हो, जिसका उद्देश्य आयुष पद्धति का लाभ गरीबों को मिले, इस पर विचार किया गया। पूर्व सांसदों ने और हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी, मैं माननीय पुनिया जी और अन्य को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने होम्योपैथी के लिए कहा कि यह वह सस्ती पद्धति है, ऐसी पद्धति है, जो आम आदमी के काम आती है, गरीबों के काम आती है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी का जो संकल्प है कि गरीबों को सस्ता स्वास्थ्य मिले, उसके तहत आपने देखा होगा कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज में हार्ट संबंधी स्टेंट की बाजार में जो अधिक कीमत लगती थी, उसको कम किया और नी-रिप्लेसमेंट एवं ट्रांसप्लांट की कीमतों को कम करते हुए जन-औषधि केन्द्रों के माध्यम सस्ती दवाओं की व्यवस्था की।

इसी प्रकार से आयुष मंत्रालय ने भी इस होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् को भंग करके एक बोर्ड का गठन किया। संदेह प्रकट किया गया था कि बोर्ड में कैसे लोग होंगे? उपसभापति जी, यह बहुत स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी जी जब कोई कार्य करते हैं, तो वह पूरी पारदर्शिता के साथ होता है, प्रतिबद्धता के साथ होता है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योग्य व्यक्ति को स्थान मिलता है, चाहे वह योग्य व्यक्ति किसी परिवार का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो। यह उनकी विशेषता है। बोर्ड के अंदर कहा गया कि देश के जो प्रख्यात डॉक्टर होंगे, उनको शामिल किया जाएगा और उनको शामिल किया गया। इसके साथ ही ऐसे प्रशासक, जिनकी छवि ईमानदारी की है, देश के अंदर जो काम ईमानदारी से करते हैं, उनको उसके अंदर शामिल करने का निर्णय जिस तरह से लिया, उसी के तहत यह प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के कारण आज मैं समझता हूं कि इस तरह का यह विधेयक यहां पर पेश किया गया है। इसके बाद में एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ेगा और यह निश्चित समझ लीजिए कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जिस तरह आयुष मंत्रालय कार्य कर रहा है, आने वाले समय में होम्योपैथी के कॉलेज और संस्थाएं जिस तरह से यहां पर कागजों पर चल रही थीं, उनको किस तरह से लाइसेंस और मान्यता दी जाती थी, मैं उन इश्यूज़ में नहीं जाना चाहता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे कॉलेज़ेज, जिनका वेरिफिकेशन किया गया, तो धरातल पर उनमें स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन वे गवर्नमेंट से मिलने वाली जमीन से संबंधित सब्सिडी हो या फंड हो, उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। इससे ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगेगा। आने वाले समय में इस बिल के पास होने के बाद यह एक्ट बनेगा और एक्ट बनाने के बाद होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् का पुनर्गठन होगा। इस तरह का होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् का गठन होगा, जो देश को समर्पित होगी, गरीबों को समर्पित होगी, मध्यम क्लास को समर्पित होगी। जिस तरह से, हमारी जो योग पद्धति थी, आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसको देश के इतिहास ने भुला दिया, पूर्व की हमारी तत्कालीन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वे चमक और धमक में रहीं, गरीबों को नारा दिया, लेकिन गरीबों को दूर कर दिया गया। उन्हीं के उत्थान के लिए नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह का हैल्थ के अंदर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक का किया, उसी तरह उन्होंने योग को पूरे विश्व के अंदर..... आज पूरा विश्व उसका अनुकरण कर रहा है। इसमें पैसा नहीं लगता है, सिर्फ साधना है, योग करना है। आज करोड़ों-करोड़ देशवासी उसका लाभ ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो गरीब और वंचित हैं, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, वे योग से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने माननीय नरेन्द्र मोदी जी पर जिस विश्वास के साथ सहयोग और भरोसा किया है, उसका रिजल्ट इस लोक सभा के चुनाव में आया है।

[श्री रामकुमार वर्मा]

महोदय, मैं इसी तरह से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से इसका पुनर्गठन होगा और उसमें ऐसे योग्य व्यक्ति होंगे, जिसका मापदंड बहुत अच्छा होगा। उसमें कहीं कोई संदेह और संकोच करने की जरूरत किसी को नहीं होगी। आने वाले समय में गरीबों को अपना हक मिलेगा, चाहे यह "आयुष्मान भारत योजना" के द्वारा हो या होम्योपैथी के द्वारा हो। होम्योपैथी की पद्धति, जिसका कोई infection या side affect नहीं होता है, वह सस्ता और सुलभ होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण एरियाज़ में अभी भी इस पद्धति को सुधारे जाने की आवश्यकता है या वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। मैं पुन: इसका समर्थन करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand here to support the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019.

I take this opportunity to make certain observations and wish to give some suggestions to the hon. Minister looking at the present state of homoeopathy in our country.

It was surprising for me also to know that out of 200 million people worldwide who adopt Homoeopathy, 100 million are in India. It is a very big number and, therefore, India is considered to be the hub of homoeopathy. We have the largest number of practitioners which stands at almost 2 lakhs. And, almost 12,000 doctors join every year, because we have the largest number of colleges. Sir, undoubtedly, there is a growing demand for Homoeopathy because of its easiness in use and low prices. And, realising this, the Government of India created the Department of AYUSH in 2003. Now, of course, in 2014, a separate Ministry of AYUSH was created.

Sir, we see, time and again, there have been corrupt practices and mishandling of institutions. Therefore, the time has come that we streamline the entire process, make it more effective, have better delivery of services and, of course, education system should also improve. So, Sir, I have five concrete suggestions to make before the hon. Minister.

The first one is there are 236 Homoeopathy colleges exisiting in our country today, and 32 are in the pipeline. We see that most of them have very poor infrastructure. Some colleges have no teachers, forget of having good teachers. And, Sir, the general quality of education is extremely poor. Sir, we need to make sure that this is corrected.

The second point is: There is mushrooming of self-finance colleges. Obviously, this amounts to commercialisation of education. Sir, if you look at the Government colleges or Government establishing homoeopathy colleges, we see today in a State like Maharashtra, there are 53 homoeopathy colleges, not even one is run by the Government! In Madhya

Pradesh, there are 24 homoeopathy colleges and only one is Government run! In Gujarat, there are 31 homoeopathy colleges and only one is run by the Government! So, we have to make sure that the Government gives a better financial outlay to make sure that Government-run Homoeopathy colleges are more in number and, secondly, research also takes place at these institutions.

The third point is: Every year colleges are required to get sanction from the AYUSH Ministry. Every year they have to go before the Ministry for approval of their colleges. Yes; there have to be checks and balances to make sure that there is no corruption and norms are being followed. But, if you look at it from college and students point of view, it is a disaster, because a college does not know whether it will get sanction next year. As far as students are concerned, it is even worse, because when they seek admission, they are not sure whether the college is going to get permission. So, Sir, some via-media has to be found out.

The fourth point I wish to make is this. Sir, Allopathy is always going to be a dominant medical stream. There is no doubt about it. And, therefore, additionally, we see that even if patients are preferring Allopathy, it also have to have other streams of medicine. We see a cancer patient who takes Allopathy medicines also takes Ayurveda and Homoeopathy. So, I appeal, all PHCs should have doctors of all streams. This is number one. The second one is, they should have regular interaction between each other. Sir, any patient who goes, a plan of treatment should be made so that patient gets benefit from all streams of medicine.

Lastly, the long-pending National Medical Commission Bill was tabled two years back. Of course, it lapsed with the dissolution of the Lok Sabha. It should be brought back and it should be considered. I only hope that no amendments would be moved to the Bill. I give my best wishes to the Government to make sure that it is completed in time. And, it is, actually, very surprising why the so-called efficient Government needs time to bring such a Bill for passage. Thank you.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Union Cabinet, chaired by hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, has approved the draft Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019. This Bill will help the Central Council of Homoeopathy in exercising the powers and performing the functions of the Council.

Amongst the alternative systems of medicinal practices, like, Ayurveda, Unani, Siddha, etc., Homoeopathy is the most significant. The history of Homoeopathy in India is linked with the name of Dr. Honigberger. He was a French man who brought Homoeopathy in India. He was attached to the court of Maharaja Ranjit Singhji. He famously quoted once,

[Shri Harshvardhan Singh Dungarpur]

"In the treasury of nature, there are many gems. Those only are worth carrying away, which we know how to set" . He arrived in Lahore in 1829-30. Later, in 1839, he was invited to treat Maharaja Ranjit Singh in Punjab who happened to be seriously ill with the paralysis of vocal cord and with swelling of the feet. The native physicians were unable to improve his health. Dr. Honigberger later went to Calcutta and started practicing there where he was chiefly known as the cholera doctor.

Sir, this therapeutic system came into practice in India during the lifetime of Dr. Hahnemann, the Father of Homoeopathy. Dr. Mahendralal Sarkar was the first qualified physician in India. He was also from Bengal. Bengal has been the home of Homoeopathy in India. Later, Dr. Mahendralal Sarkar spread the prestige and fame of Homoeopathy far and wide in India. Ultimately, more and more people started taking homeopathic treatment for various diseases. Legislative support has also come for the Homoeopathy State Act. And, Bengal was the first province to constitute the Homoeopathy State Faculty in 1943. Later, in 1952, Rajkumari Amrit Kaur appointed the first ad hoc Homeopathic Commission; and, it functioned till 1954.

The homeopathic treatment has had very positive impact in the patients suffering from hyperthyroidism. And, according to a study, it was found that the fourth visit to a homeopathic clinic 35 per cent of hyperthyroidism patients showed improvement in the serum thyroid stimulating hormone.

Talking about homeopathic medicine in detail, we can say that the homeopathic medicines have no adverse interaction with any other medicines. And, that is why, they are safe. So, it is a very safe alternative form of medicine to use in India. I hope, this Bill will help to promote Homoeopathy all over India. Sometimes, the homeopathic medicines work better than allopathic medicines. It is very popular in Europe, and especially in Germany.

With these words, I thank you for having given me this opportunity. I support this Bill.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, जैसा मैंने आपको सूचित किया था, कुछ नाम बहुत बाद में, यानी जो समय-सीमा है, उसके बाद आए थे। उन लोगों का मानना है और मैं भी यह मानता हूं कि हर सदस्य महत्वपूर्ण बातें कहता है, तो दिन मिनट में वे लोग भी अपनी बात कहें। माननीय सुशील कुमार गुप्ता जी।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि alternate चिकित्सा पद्धति इस देश के अंदर बहुत जरूरी है। ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रभाव देश और दुनिया के अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। परंतु

जटिल रोग, विशेषकर स्किन से संबंधित रोग और ऐसे रोग, जिन्हें बिना ऑपरेशन के ठीक करना है, उसमें हिन्दुस्तान की परम्परागत चली आ रही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति हमेशा ठीक साबित होती है। मैं इसके साथ यह कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी के कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खुलने चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने चाहिए, जहां पर ऐलोपैथिक डॉक्टर्स जाने से कतराते हैं और वहां के लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। आज हिन्दुस्तान के अंदर antibiotics देने का रिवाज़ चल पड़ा है, चाहे खांसी हो या ज़ुक़ाम हो, जबकि डब्ल्यूएचओ ने यह तय किया है कि अगर antibiotics देनी है तो उससे पहले लिखित कारण देना पड़ेगा कि किस मजबूरी में antibiotics दी जा रही हैं। होम्योपैथिक क्षेत्र में ऐसी antibiotics नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ही अच्छा काम करती है। ...**(व्यवधान)**... मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: आप specific suggestions दीजिए। That will help. आप दो मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: मैं यह कहना चाहूंगा कि हैल्थ के बजट के अंदर allopathic के अलावा कुछ, जो हमारी इलाज की परम्परागत पद्धतियां हैं, उनके लिए combined budget के अलावा specific budget होना चाहिए। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस पीरियड के लिए दो साल कर दें तो अच्छा है, परन्तु हमेशा के लिए दो साल करना सही नहीं है, हमेशा के लिए हम मानकर चलें कि करप्ट बॉडी आएगी और उसको रिप्लेस करने में दो साल लगेंगे, मुझे लगता है कि इससे स्वायत्तता के ऊपर असर पड़ेगा। इस पीरियड के लिए आप बेशक करें, किन्तु एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं होना चाहिए, एक्ट में एक साल का प्रावधान होना चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी। Sir, be specific and conclude in time.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): महोदय, इस पर मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि बहुत सालों से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में काम करके मैंने देखा है कि आदिवासी अपनी खुद की परम्परागत और जंगलों में होने वाली मेडिसिन या प्लान्ट से अपना इलाज करते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो कितने पत्ते उबाल कर लगाने से जमा हुआ खून बिखर जाता है... दो आदिवासी ग्रुपों के अंदर अगर मारामारी हो जाती है तो वे पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वे आपस में दवाई लगाकर ठीक होते हैं। मंत्री जी से मेरी विनती है कि tribal medicine के बारे में कुछ करें और research वगैरह करवाएं और स्टडी करके देखें कि हमारे देश के अंदर इसमें से कितनी चीज़ें मूलत: हैं, जिनको हम बाहर ला सकें। मेरा सिर्फ इतना ही सजेशन है कि होम्योपैथी के अलावा यह भी एक एरिया है, जो पूरे देश के अंदर सभी जगह मध्य भारत में बिखरा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं हैं और न ही उस पर कोई ध्यान देता है। मिनिस्टर साहब, उन पर ध्यान दें या कोई कार्यवाही करें। मैं आपसे एश्योरेंस भी मांगूंगा, अगर आप दे सकें।

श्री उपसभापति: आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, माननीय मंत्री जी, इस पर ग़ौर करेंगे और माननीय अर्जुन मुंडा जी मौजूद हैं, वे जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में वुडोपैथी से लेकर इस तरह की कई विधाएं हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपने अच्छा सुझाव दिया, श्री हुसैन दलवई जी, आज आपको दो मिनट में अपनी स्पेसिफिक बात कहनी है।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं होम्योपैथी के ऊपर विश्वास रखता हूं। मैं स्वयं डा. अजीत के यहां से दवा लेता हूं। वे खुद Allopathy के pathology के डॉक्टर हैं, लेकिन सालों से उनकी प्रैक्टिस होम्योपैथी की चल रही है। क्या इस बिल के ज़रिये उनको भी इसमें लिया जाएगा कि वे यह प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इस विषय पर बिल में कोई बात है?

महोदय, The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 क्यों आया, वह इसलिए आया कि वहां करप्शन है, ऐसा बोला गया। उसकी इन्क्वायरी की रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। सीबीआई की इन्क्वायरी वर्ष 2016 से चल रही है, 20 लाख रुपये की ब्राइब का आरोप था, क्या हमें मंत्री जी बताएंगे कि उसका क्या हुआ? अगर यह बताएंगे तो अच्छी बात होगी।

महोदय, यह बात सही है कि fake colleges हैं, तो आप उन्हें बंद क्यों नहीं करते हैं? मेरा कहना है कि जो कॉलेजेज़ ठीक ढंग से चलते हैं, वे चलने चाहिए। महोदय, जो गवर्नर काउंसिल तैयार की गई थी, वह 6 महीने के लिए तैयार की गई थी, अभी आपको 6 महीने चाहिए। उन लोगों ने बीते 6 महीने में क्या काम किया? इसका भी ब्यौरा देंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि अभी आप ऑर्डिनेंस बदल रहे हैं - ठीक बात है और उसका विरोध करने का सवाल नहीं है। यह छह महीने में होने वाला है, इसको देखिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होनी चाहिए, ऐसा मेरा जरूर कहना है। जैसे ऐलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैसे ही आयुर्वेद भी है, हमदर्द है। मैं एक बात बताता हूं, जब मैं चाइना गया था। ...(**समय की घंटी**)... वहां चाइना के मेडिसिन स्टोर जिस ढंग से लगे थे और वहां बड़े पैमाने पर प्रदेश से आए हुए लोग दवाइयां ले रहे थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: दलवई जी, आप कन्क्लूड करिए।

श्री हुसैन दलवई: वैसे ही हमारे यहां रिसर्च क्यों नहीं होती है? इसमें होम्योपैथी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: दलवई जी, आप कन्क्लूड करिए।

श्री हुसैन दलवई: जैसे होम्योपैथी में रिसर्च नहीं होती है, वैसी ही आयुर्वेद में भी रिसर्च नहीं होता है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद। आपने कई बातें कह दी हैं।

श्री हुसैन दलवई: एक बात ऐसी है कि कहीं न कहीं ऐलोपैथी छोड़कर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वे tall claim बहुत करते हैं। यह हम करेंगे, वह हम करेंगे ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: बस अब आप खत्म करिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So the discussion is over. Now I will call the Mover of the Resolution, Shri Binoy Viswam. If you want to say something, you can do so. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कहिए।

SHRI BINOY VISWAM: Can I speak for two-three minutes?

4.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can take two minutes. No problem.

AN HON. MEMBER: He is very generous today. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: Fortunately, you are.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am always. ...*(Interruptions)*... Please.

SHRI BINOY VISWAM (KERALA): Sir, try to be like this always.

Sir, in this august House, many hon. Members took part in the discussion and they contributed a lot to make this Bill a meaningful one. Many of the friends in the House raised the questions of some principles also. I believe that the Government will take a note of that also in the future.

Sir, Homoeopathy is a very important branch of treatment in the country. There is no need to explain the reasons. For the common man, this branch of treatment is the most reliable treatment because it is comparatively cheaper, and the science says that it has least side-effects. In such a situation, when we are all aware that many drug-induced diseases are occurring in the country where many diseases are now appearing as part of taking some medicines which are taken for some other ailments, the Homoeopathy is comparatively free from these bad effects. That also makes Homoeopathy something dear to the common man. Such a branch of treatment, a branch of science, is very vital for a country like India where people are so poor, and when we think about the future of Homoeopathy treatment and education, it is very important that we should try to make it a foolproof one. Sir, it is true that the earlier Central Council was having a lot of handicaps mainly in the form of corruption. People rightly alleged that widespread corruption was the practice of the day in those days when the Council was in effect and the Government found an easy way to do away with the Council and now a Board of Governors came into existence. Earlier the Government told that within one year, this Board of Governors will be ceased to exist and democratically-constituted Central Council will come into effect but the Government did nothing. It shows that the Government is not very serious on such matters.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the Government should be serious about such matters. So, now, the tenure has been extended. Extension alone is not a matter. It will not solve any issues.

What is the guarantee that the Government would come up with a new Central Council which is pragmatic, effective, non-corruptive and a reliable one? This is one question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be generous to the Chair now!

SHRI BINOY VISWAM: Sir, with the Bill the Government would have every right to decide upon the Board of Governors. What about the integrity of Governors? Will they be men of integrity? That is the main question. Then, there are thousands and lakhs of homeopathic practitioners in the country. What is the guarantee that they would be properly and adequately represented in the Board of Governors? The Government must be very careful to choose the right persons from all over the country, properly representing regions and genders. This should be taken care of. There should be ample number of women and ample number of people from the backward sections of the society represented in the Board of Governors. I hope the Government would take care of these.

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार सदन में रखे। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए - कुछ सदस्यों के छोटे-मोटे प्रश्न भी हैं, जिनका उत्तर मैं आगे बताउंगा - जिसके लिए मैं तहेदिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं।

उपसभापति महोदय, खासकर दो ही मुद्दे सामने आए कि होम्योपैथी काउंसिल को बंद क्यों किया गया। मैंने अपनी introductory speech में उसको बंद करने के कारण बताए थे। मैं कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी काउंसिल का काम गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाना था - यह उसकी जिम्मेदारी भी थी। हमें लगा कि जिस तरह से यह काउंसिल चल रहा था, कई विषय इसमें आ गए थे, जिनके कारण वह अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन नहीं कर रहा था। मंत्रालय ने बार-बार उन्हें समझाया कि इसमें सुधार लाना जरूरी है, लेकिन वह नहीं माना। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जैसे corruption का मुद्दा है - एक काउंसिल का अध्यक्ष पैसे लेते हुए पकड़ा जाए, यह एक बहुत बड़ा नामुश्की का उदाहरण था। हम चाहते हैं कि काउंसिल में नए-नए प्रयोग किए जाएं, क्योंकि आज का युवा information technology चाहता है। इसके बारे में जब हमने उनसे कहा कि आपका रजिस्टर होना चाहिए, आप डिजिटल करा दीजिए क्योंकि आज digitalization से इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना और इस संबंध में एक परसेंट काम भी नहीं किया। जो काउंसिल के मेम्बर्स रिटायर होते थे, वे अपनी जगह नए मेम्बर का इलेक्शन नहीं होने देते थे। उस समय Constitution में इस तरह का प्रावधान नहीं था। उस समय जब तक नया मेम्बर न आए, तब तक वे अपने पद पर रह सकते थे, इसलिए वे चाहते थे कि नए मेम्बर का इलेक्शन ही न हो, ताकि वे उस पद पर बैठे रहें। इस प्रकार उनकी टर्म खत्म के बाद भी उनकी कोशिश उस पद पर बने रहने की होती थी। हमने सभी colleges को कहा था कि ये सब काम आपको करने हैं और नए-नए initiatives लेने हैं। यह सब request करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। 2002 में जब हमने एक्ट में अमेंडमेंट किया, उससे पहले के जो कॉलेज थे, उनके संबंध में हमारा अधिकार नहीं था कि इससे पहले का भी inspection मंत्रालय को करना है, CCH को करना है - यह अधिकार हमारे पास नहीं था। 2002 में इसी अमेंडमेंट में यह अधिकार हम लाए। 2002 के बाद के जो colleges हैं, उनमें

सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन उससे पहले के जो colleges थे, उन्होंने एक circular निकाला कि CCH या किसी के inspection की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मंत्रालय को बिना बताए वे इस तरह के आदेश देने लगे थे। महोदय, बहुत दुख की बात है - ज्यादातर मेम्बर्स ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए।

कई जगह हमें ऐसा पता लगा कि वहां कॉलेज है, लेकिन वह कागज पर ही है। विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। उनको बोला जाता है कि आप फीस भरो और साल भर मत आओ और थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो। इस तरह से समाज और देश का क्या होगा जहां वह बिना एजुकेशन लेते हुए कोर्स कर रहा है? केवल सर्टिफिकेट देने के नाम पर वह कॉलेज़ वहां स्थापित था। सर, यह देखने के बाद हम कैसे चुप रहेंगे? आप भी इसको नहीं मानेंगे। इसलिए इसको ठीक करने के लिए काउंसिल को बरखास्त करने का निर्णय लिया गया। उसके लिए जो नए रूल्स चाहिए, उन रूल्स को उसमें डाला गया। हमारा जो आने वाला डॉक्टर होगा, एक जिम्मेदार डॉक्टर बनेगा और समाज की अच्छी तरह सेवा करेगा। इसलिए हमको यह काउंसिल बंद करनी पड़ी और इसे बरखास्त करना पड़ा। हां, हमने एक साल मांगा था कि हम सब तुरंत इन सब कार्यों को एक साल में करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब तब स्टेट में डॉक्टर का रजिस्टर नहीं बनता, तब हम कहां कितने डॉक्टर हैं, इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसी के मुताबिक वहां पर काउंसिल के मेम्बर्स की संख्या उनको देते हैं। हमने राज्यों को बार-बार कम्युनिकेट किया और बार-बार बताया कि आप तुरंत अपना रजिस्टर भेजो, ताकि हम जल्दी से इलेक्शन करा सकें। आप जानते हैं कि कई राज्यों ने सपोर्ट किया और कई राज्यों का आ गया और कई राज्यों ने कहा कि हम थोड़ी देर के बाद दे देंगे। हम उस साल इलेक्शन नहीं करा पाए, इसलिए हम फिर आपके पास आए हैं। यह नया Amendment नहीं है, इसमें एक बार Amendment हुआ था। इसमें केवल एक साल की अवधि और दें, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं और इसी वजह से आज हम आपके सामने आए हुए हैं। कई माननीय सांसदों ने हमें होम्योपैथी परिषद् के पुनर्गठन के कारणों के बारे में भी पूछा है। उसका कारण यही था कि जो कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, वह जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई और इसलिए हमको एक साल का समय चाहिए था।

महोदया जैसा मैंने कहा कि मौजूदा अधिनियम में मंत्रालय को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस Amendment में हम उस अधिकार को लाए हैं। इसीलिए आंतरिक उपाय के रूप में शासन मंडल द्वारा परिषद् को अधिक्रमित करना पड़ा और Board of Governors को लाया गया और उन्होंने साल भर में बहुत काम किया है। किसी ने पूछा है कि उन्होंने किस तरह का काम किया है? मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे कॉलेज का inspection होता था, वह बहुत लंबे समय में होता था। जो परमिशन हमें जुलाई तक देनी होती थी, उसे हम नहीं दे पाते थे और वह सितम्बर और अक्तूबर तक का समय हो जाता था। इससे विद्यार्थियों का नुकसान होता था। इस बार गए साल में उन्होंने कई inspection समय पर दे दिए और अभी भी पूरी प्रक्रिया हम July end में पूरी समाप्त कर देंगे। हमारे 236 colleges हैं, उसमें से 80 परसेंट कॉलेजों ने अब तक दे दिया है और बाकी के जो बचे हुए हैं, वे 15-20 दिन में पूरा करेंगे। उन्होंने इस तरह से काम किया है। During the accounting year 2018-19, as per the recommendations of the Board of Governors, the Central Government has permitted twelve new colleges with 960 seats and increased 75 seats in two UG colleges

[श्री श्रीपाद यसो नाईक]

and started PG in eight existing colleges with 144 seats. The Board of Governors of CCH has amended the relevant UG and PG Regulations for making admission into undergraduate and post-graduate courses mandatorily through the National Eligibility Entrance Test. हमने यह भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। The Board of Governors of CCH has also amended the MSR Regulations, 2013 for incorporating the following provision, that is, Aadhaar-based geo-location attendance system for teachers, hospital staff and post-graduate students; Teachers' Eligibility Test for the candidates opting for the teaching post and provision of Section 12C for inspection of the existing colleges. कई सदस्यों ने पूछा कि आप उसमें किस तरह से corruption खत्म करने की व्यवस्था करेंगे? Board में जो 7 मेम्बर्स थे, उन 7 में से जो 6 मेम्बर्स थे, उनमें चार होम्योपैथी के specialist डॉक्टर्स थे और 2 हमारे मंत्रालय के थे, जो administration को अच्छी तरह से जानने वाले थे, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था।

मैं बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में, जो आप एक साल की मोहलत हमें दे देंगे, तो हम रजिस्टर इत्यादि का जो कुछ काम है, उसे राज्यों से करवाने का काम करेंगे। जो होम्योपैथी काउंसिल है, उसका गठन हम जल्दी से जल्दी निश्चित तौर पर करेंगे।

उपसभापति महोदय, कई सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रकट किए थे। माननीय सदस्य पी.एल. पुनिया जी ने पूछा भी है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम क्या-क्या प्रयास करेंगे। इसके बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग कॉलेज के इन्सपैक्शन के लिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर और जो प्रोफेसर जिम्मेदार है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ऐसा करने से गलत करने वाले के मन में एक डर बैठेगा/ हम इस तरह के ऑफिसर्स को इन्सपैक्शन के लिए भेजते हैं, ताकि इन्सपैक्शन में कोई कमी रह गई, तो वे इसके लिए रेस्पांसिबल होंगे, इसलिए यह उपाय हमने किया हुआ है।

उपसभापति महोदय, कई सदस्यों ने पूछा था और हमारे पी.एल. पुनिया जी पूछ रहे थे कि होम्योपैथी में रिसर्च कहां तक जा रही है। मुझे यह बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि एक नया होम्योपैथी का रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में बना रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में बना रहे हैं। इसमें अभी रिसर्च चल रही है। इसी तरह से अभी छह महीने पहले जयपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इस तरह से हम कई जगहों पर नये रिसर्च सेंटर्स बना रहे हैं, ताकि रिसर्च के ऊपर जोर देकर, हम खुद यहां इंडिया का होम्योपैथी मेडिसिन बनाने का हमारा प्रयास है। कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर हमारा होम्योपैथी का डॉक्टर होना चाहिए। इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय की जो स्कीम है, हमने हर लोकेशन के लिए स्कीम निकाली हुई है और हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर हमारे आयुष के डॉक्टर्स बैठते हैं और राज्य सरकारों को हम इसके लिए बजट देते हैं। बहुत से राज्यों ने होम्योपैथी के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, सिद्धा डॉक्टर्स लिए हुए हैं, जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स पर काम कर रहे हैं। हमारे आयुष मंत्रालय ने और भी

स्कीम्स चला रखी हैं, क्योंकि हमें लोगों को सेवा देनी है, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए और इसीलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट को एक 50 बैडिड आयुष हॉस्पिटल देने का वायदा किया हुआ है। अब तक हमने 300 से ज्यादा हॉस्पिटल एप्रूव किए हुए हैं। कई हॉस्पिटल अभी कम्पलीशन में हैं और कई अगले साल से शुरू हो सकते हैं। मैं आदरणीय सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में आयुष का हॉस्पिटल शुरू करवा सकते हैं, आयुर्वेद का शुरू करवा सकते हैं, होम्योपैथी का शुरू करवा सकते हैं, हमारी पांच-छह पैथीज़ हैं, उनमें से आप किसी भी पैथी का शुरू करवा करते हैं। होम्योपैथी का प्रचार बढ़ाने के लिए यह हॉस्पिटल कारगर रहेगा। इसीलिए मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि हम सभी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक आयुष्मान स्कीम देखी होगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस स्कीम की घोषणा की है। उसके तहत पूरे देश में 1,50,000 हैल्थ वेलनेस सेंटर्स होंगे। मुझे यह कहने में आनंद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसमें से 12,500 हैल्थ सेंटर्स आयुष के लिए दे दिए हैं। हर तहसील में एक आयुष सेंटर बनेगा और एक ही जगह पर हम सभी पैथी से इलाज कर पाएंगे। हम होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए आयुष्मान योजना का उपयोग कर सकते हैं।

कई सदस्यों ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और यह स्वाभाविक है। जो हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया था, उसमें बात मेम्बर्स में से छह मेम्बर्स ही क्यों बनाए, यह प्रश्न भी पूछा है। इसके संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि हमने सातवें मेम्बर्स की वेकेंसी को भरने की कोशिश की हुई है और मेरे ख्याल से जब कभी बोर्ड का पुनर्गठन होगा, तभी सातवां मेम्बर भी उसमें जुड़ जाएगा।

उपसभापति महोदय, पिछले कई दिनों से आयुष मंत्रालय काफी आगे बढ़ रहा है और हम सभी पैथी का विकास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि "योग" हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है। यह आयुष का ही पार्ट है और पूरी दुनिया में चला गया है।

महोदय, आज हमारे इन सिस्टम्स का गांव-गांव में उपयोग हो रहा है। हमने इन्हें प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर introduce किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सबका हमें इस तरह से सपोर्ट मिलेगा, तो हम अपने देश के Indian medicine system को बढ़ाने के लिए और काम करेंगे। आपने इस बिल पर जिस प्रकार से सुझाव एवं समर्थन दिया है, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम आयुष को और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं आप सभी का इस बारे में सहयोग और आशीर्वाद चाहता हूं और आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज जो विधेयक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसे पारित करने की कृपा करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall first take up the Statutory Resolution moved by Shri Binoy Viswam. The question is:

> "That this House disapproves the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No.11 of 2019) promulgated by the President of India on 2nd March, 2019."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall take up the motion moved by Shri Shripad Yesso Naik. The question is:

That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No. 1) by Dr. T. Subbarami Reddy. Please, move the Amendment.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I would just like to explain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just say that you are moving the Amendment. There is no time for making a speech.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am not making a speech. I am just explaining as to why I have brought the Amendment. I brought this Amendment to change the time of Board of Governors to 18 months, instead of 24 months. Originally, when the supersession took place through an Ordinance, the time mentioned was only 12 months. The Central Council of Homoeopathy is an important democratic institution, which supervises and safeguards the standard of education and practice of homoeopathic system of medicine. Therefore, I urge upon the Minister to bear in mind —I am not asking him to immediately follow it —to constitute the Central Council as early as possible...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Please, don t make a speech.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: ...so that the functioning can be carried out democratically. Now, I am not moving the Amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Amendment not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.